न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र0 समक्ष-डी०सी०थपलियाल ALLAND STRONG SUNTY

1

प्रकरण कमांक 65 / 15 वैवाहिक

कमलसिंह पुत्र छत्रपालसिंह आयु 30 साल व्यवसाय मजदूरी निवासी रिवया का पुरा तहसील मेहगांव जिला भिण्ड श्रीमती सुमन देवी पत्नी कमलसिंह पुत्र सत्यप्रकाश आयु २७ साल निवासी हाल ग्राम कीरतपुरा परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

आवेदिका द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता अनावेदिका द्वारा श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता

//नि य// // आज दिनांक 12-05-2016 को पारित किया गया //

वर्तमान याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत विवाह के उभयपक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किये

जाने वाबत् पेश किया गया है, जिसका कि निराकरण किया जा रहा है ।

उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि कमलसिंह (जो कि आवेदन पत्र में आवेदक के रूप में वर्णित किया गया है) एवं श्रीमती सुमनदेवी (जो कि आवेदनपत्र में अनावेदिका के रूप में वर्णित की गयी है) (जिन्हें कि सुविधा की दृष्टि से पक्षकार क्रमांक 1 व 2 के रूप में वर्णित किया जायेगा) का विवाह दिनांक 1-5-16 को हिन्दू रीति रिवाज से ग्राम कीरतपुरा परगना गोहद में सम्पन्न हुआ था । आवेदक एवं अनावेदिका के संसर्ग से एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम मुस्कान है और उसकी उम्र 6 वर्ष है । शादी के बाद आवेदक एवं अनावेदिका पति पत्नी के रूप में साथ में रहे । शादी के प्रारम्भ से ही

आवेदक एवं अनावेदिका में बैचारिक मतभेद रहे जो कि निरन्तर चलते रहे जिन्हें दोनों व्यक्ति बर्दास्त करते रहे, किन्तु जब वैवाहिक संबंध ठीक से स्थापित नहीं हो सके और दोनों लोग अलग अलग हो गये । उनके मध्य न्यायालय में प्रकरण चलने लग गये । वर्तमान में आवेदक एवं अनावेदिका का आपसी झगडा इस सीमा तक पहुंच गया कि दोनों का एक साथ वर्तमान परिस्थितियों में रहना सम्भव नहीं है औन अनावेदिका वर्तमान में अपने पिता के घर रह रही है । दोनों पक्षकारों को कई बार रिस्तेदारों के समझाने के बावजूद भी साथ रहने वाबत् समझौता नहीं हो सका है और दोनों पक्षकार करीब एक वर्ष से भी अधिक समय से पृथक रह रहे हैं । और उनके बीच कोई वैवाहिक संबंध भी स्थापित नहीं हुये हैं । अनावेदिका को स्थाई भरण पोषण के लिये 2,00,000 / – रूपये प्रदान करने का निर्णय लिया है जो कि निर्णय एवं डिकी के समय प्रदान कर दिये जायेंगे । अनावेदिका का संपूर्ण स्त्रीधन आभुषण पूर्व से अनावेदिका के पास हैं अब अनावेदिका का आवेदक से कोई लेना देना शेष नहीं है । पुत्री मुस्कान की संपूर्ण शिक्षा एवं पालन पोषण एवं विवाह आवेदक के द्वारा किया जावेगा और आवेदक पर ही पुत्री मुस्कान की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी । उभयपक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु आवेदनपत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है तथा प्रार्थना की है कि आवेदकगण के हक में दिनांक 1-5-2006 को सम्पन्न हुये विवाह को परस्पर सहमति के आधार पर विघटित करने की डिक्री पारित करने का निवेदन किया गया है।

3— उभयपक्षकारों के द्वारा वर्तमान विवाह विच्छेद याचिका न्यायालय के समक्ष दिनांक 31—10—15 को पेश किया गया उसके उपरांत न्यायालय के द्वारा दिनांक 2—11—15, 16—11—15, 28—11—16, 28—4—16, 5—5—16, 10—5—16 के उपरांत आगामी तिथियां नियत की गयी | पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह समझौते की संभावना खोजी है किन्तु उनके मध्य सुलह समझौता होने की कोई संभावना भी नहीं है | उपरोक्त याचिका के संबंध में पक्षकार कं01 कमलिसंह एवं पक्षकार कं02 श्रीमती सुमन को न्यायालय के द्वारा पूछताछ की गयी और उनके कथन लेखबद्ध किये गये | पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के समझोता, सुलह होने की संभावना से साफ तौर से इन्कार करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमती के आधार पर तलाक आवेदनपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है | धारा 13 ख हिन्दू विवाह के अन्तर्गत याचिका पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है |

4— उभयपक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद याचिका के संबंध में विचार किया गया । पक्षकारों का हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न होना तथा पक्षकार कं02 श्रीमती सुमन पक्षकार कं02 कमलिसंह की विवाहिता पत्नी होना स्पष्ट है । आपसी सहमति के आधार पर उभयपक्षकारों के हस्ताक्षरित तथा फोटोयुक्त याचिका अन्तर्गत

धारा 13(ख)हिन्दू विवाह अधिनियम पेश किया गया है । उभयपक्षकारों के मध्य आपसी सुलह-समझौते होने की कोई संभावना नहीं है और न ही उनके साथ रहने की भी कोई संभावना भी दर्शित नहीं होती है । उभयपक्ष करीब डेढ वर्ष से भी अधिक अवधि से अलग अलग रह रहे हैं । आवेदनपत्र पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है । पक्षकारों के द्वारा यह व्यक्त किया गया कि स्थाई भरण पोषण के रूप में अनावेदिका को 2,00,000 / – रूपये प्रदान किया गया है तथा अनावेदिका स्त्रीधन आभुषण आदि पूर्व से ही अनावेदिका के पास ही हैं। 🕗

विचारोपरान्त उपरोक्त सभी परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुये इस संबंध में उभयपक्षों की सहमति के परिप्रेक्ष्य में निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती है :--

1-आवेदक पक्षकार कं01 कमलसिंह तथा श्रीमती सुमन पक्षकार कं02 के मध्य सम्पन्न हुआ विवाह दिनांक 1-5-2006 आपसी सहमती के आधार पर बिच्छेदित किया जाता है ।

2—उभयपक्षकार वैवाहिक संबंधों से स्वतंत्र रहेंगे । 3-उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे । तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी0थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड

्र पर टाईप किय (डी०सी०थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड